

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या० 09 (2) / 2016

आबकारी सिपाही (सामान्य चयन) 2016

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि – 05.05.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 07.05.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 23.05.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 25.05.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 27.05.2016

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञसि संख्या- 12(भर्ती)/2016 के क्रम में विज्ञापन संख्या- 09(2)/2016 द्वारा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन "आबकारी सिपाही", वेतनमान रु०5200-20200, ग्रेड पे-1900 के कुल रिक्त 405 अस्थाई पदों, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु -7 की सारणी-1 में दिया गया है, पर सामान्य चयन के अंतर्गत भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली - भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वैबसाइट <http://upssc.gov.in> पर “ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स” (all notification /advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्स्ट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्स्ट्रक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा- निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), प्राप्तांक एवं पूर्णांक सही-सही भरें। गलत सूचना होने पर फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस विषय में को प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एक्नोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा। जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय

स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्सन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीष्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपराह्न 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लीकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ट -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम, आवश्यक तक (इमेज जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) के रंगीन फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ,(*.jpg, *.jpeg, *.png) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “व्यू एप्लीकेशन फार्म” को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “सबमिट” बटन को क्लिक करें, अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही-सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “सबमिट” बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7 ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

3. एक बार आवेदन “सबमिट” करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. **आवेदन शुल्क** – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
1-	अनारक्षित (सामान्य)	80.00	25.00	105.00
2-	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	80.00	25.00	105.00
3-	अनुसूचित जाति	40.00	25.00	65.00
4-	अनुसूचित जनजाति	40.00	25.00	65.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। आबकारी सिपाही का पद विकलांगजनों हेतु चिन्हित नहीं है। अतः आबकारी सिपाही पद हेतु विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं हैं।

5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा एवं सूचनाएँ सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, पूर्व के शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विभाग में रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार विवरण-

सारणी-1

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या						पदों की प्रकृति
				01 जुलाई, 2016 को आयु (वर्षों में) न्यूनतम-अधिकतम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1-	आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	आबकारी सिपाही	₹०५२००-२००००/- ग्रेड पे-१९००/-	18-40	203	85	08	109	405	अस्थायी
					203	85	08	109	405	

नोट:- आबकारी सिपाही का पद विकलांगजनों हेतु चिन्हित नहीं है। अतः विकलांग व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।

क्षैतिज आरक्षण

विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-

सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	आबकारी सिपाही	i)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित ii)- भूतपूर्व सैनिक iii)- महिला	08 20 81

टिप्पणी

- (1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और बिन्दु-8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता रखते हों, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (2)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदनाम के लिए चयन किया जाना है।
- (3)- साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या आयोग द्वारा संवीक्षा के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित की जाएगी।
- (4)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित पदों पर) पदों पर ही आरक्षण देय है।
- (5)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (6)- उपर्युक्त सारणी-1 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- (7)- रिक्तियों की संख्या घट- बढ़ सकती है।

8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)/अधिमानी अर्हता-

अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हता:- उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

- 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,
 - 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो
- 9- चयन का आधार- आबकारी सिपाही पद पर चयन का आधार दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल श्रौ तथा साक्षात्कार है।

10- शारीरिक मापदण्ड:- आबकारी सिपाही पद के लिए अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड निम्नवत होगा-

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए-

- (1) सीना- न्यूनतम 80 सेंटीमीटर (बिना फुलाए), न्यूनतम 85 सेंटीमीटर (फुलाने पर)।
- (2) ऊँचाई- न्यूनतम 167.6 सेंटीमीटर।

महिला अभ्यर्थियों के लिए-

- (1) वजन- न्यूनतम 45 किलोग्राम।
- (2) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई- न्यूनतम 152 सेंटीमीटर।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई- न्यूनतम 147 सेंटीमीटर।

11- चयन की प्रक्रिया:- पद की संगत सेवानियमावली यथासंशोधित 2016 के नियम-15 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पद के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली-2015 के अनुसार होगी। तदनुसार

आबकारी सिपाही पद पर चयन के लिए शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर 100 अंकों का होगा। पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(क) शारीरिक परीक्षा:- शारीरिक परीक्षा दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो को मिलाकर 60 अंकों की होगी। शारीरिक परीक्षा के लिए मदवार अंक निम्नलिखित तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार प्रदान किए जाएंगे:-

क्रमांक	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए			महिला अभ्यर्थियों के लिए		
	मद	समय (मिनट में)	प्रदान किए जाने वाले अंक	मद	समय (सेकेंड में)	प्रदान किए जाने वाले अंक
1	दौड़ कुल दूरी 4.8 किलोमीटर (3 मील)	30	12	दौड़ कुल दूरी 200 मीटर	52	12
		27	15		50	15
		24	18		48	18
		21	20		46	20
2	लंबी कूद	दूरी (फिट में)	प्रदान किए जाने वाले अंक	लंबी कूद (मीटर को फिट में गणना के अनुसार)	दूरी (फिट में)	प्रदान किए जाने वाले अंक
		15	12		8	12
		17	16		9.5	16
		18	20		10	20
3	क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी (मीटर में)	प्रदान किए जाने वाले अंक	क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी (मीटर में)	प्रदान किए जाने वाले अंक
		61	12		12	12
		63	16		13	16
		65	20		14	20

उपरोक्त निर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी योग्य पाये गए हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 40 अंकों का होगा।

12- आयु सीमा:- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18-40 होनी चाहिये अर्थात् अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमत्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

11- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़ा वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमत्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में सुदृष्ट तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

12- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्री होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्री होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री

(विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र कि पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को २० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या २-ई.एम. / २००१ - का – ४ - २०१३, दिनांक २७ अगस्त, २०१३ के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अहं / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगजनों, महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांगता से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं हैं, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(14) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु -7 की सारणी-1 में उल्लिखित पद के सापेक्ष बिन्दु-8 में विहित अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक) व अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।


13- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2-आयोग कार्यालय में आवेदन “सबमिट” हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, लिंग (Gender), शैक्षिक योग्यता आदि में परिवर्तन अनुमत्य नहीं है।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा ।
- 5- जो अभ्यर्थी कालांतर में अहं नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
- 6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन “सबमिट” किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने तथा आवेदन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 7- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र पाये जाने पर औपबंधिक बुलावा पत्र भेजेगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अहं नहीं था / थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था / थी, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 8- आयोग से सभी पत्राचार में आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, किन्तु उपर्युक्त बिन्दु-2 के संबंध में कोई पत्राचार न किया जाए।
- 9- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा ।
- 10- ऐसे अभ्यर्थी जो पद हेतु विहित अनिवार्य(शैक्षिक) अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा आवेदन “सबमिट” करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
- 11- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अहं हैं।
- 12- किसी अनाचार / कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कॉटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 14- ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25.05.2016 तथा आवेदन स्वीकार “सबमिट” किए जाने की अंतिम तिथि 27.05.2016 है।


अनुसंधान
परिषद् -

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the Candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree

or disagree with the content of Declaration by clicking on ‘I Agree’ or ‘I do not agree’ buttons. In case the Candidate opts to disagree, the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate’s On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details:

This section show information about Candidate Personal Details i.e. Registration Number, Candidate Name, Father/Husband Name, Gender, DOB, UP Domicile, Category, Marital Status, E-mail ID and Contact Number.

Other Details of candidate:

Other Details of Candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & Experience Details:

It shows Education and Experience details of the candidate.

Candidate Address, Photo & Signature Details.

It shows Communication Address and Photo with signature of the Candidate.

Declaration segment:

At the bottom of the page there is a “**Declaration**” for the Candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview Candidates detail before final submission of Application Form on clicking on “**Preview**” button.

Preview page will display all facts/Particulars that the Candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on “**Submit**” button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using “**Back**” button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “PRINT” OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in ‘Home Page’ of commission’s website <http://upssc.gov.in> CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)

Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

- I) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:** On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-८

उ०प्र०, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुषुप्ति/ सुषुप्ती श्री
 निवासी ग्राम नगर जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान
 जिला उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील नगर संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
 (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
 जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
 श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के जिला
 ग्राम तहसील नगर में सामान्यता रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद का नाम
 जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/
 अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुषुप्ति/ सुषुप्ती श्री
 निवासी ग्राम नगर जिला
 उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ा जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पूर्वांक अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिरक्षित लिया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आक्षणित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विस्तृत घूर भीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
 श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
 तहसील नगर जिला में सामान्यता रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद का नाम
 जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

DICABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.

Son/Wife/Daughter of Shri age

Sex identification mark (S) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms;
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
- (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No
- (iii) L-can perform work by lifting Yes/No
- (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. Yes/No
- (v) B-can perform work by bending. Yes/No
- (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
- (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
- (viii) W-can perform work by walking Yes/No
- (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
- (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रभाण-पत्र

प्रभाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी नाम जिला उत्तर प्रदेश प्राप्त
 लोक सेवा (शासीरिक रूप से विकलाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सेतिल के लिए आत्मण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/ पुत्री/ योनि/ पोती विवाहित/ अविवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राक्षणी के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) को आश्रित है।

हस्ताक्षर पूरा नाम
 रूपान मुहर
 दिनांक जिलाधिकारी
 सोल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी
ग्राम-....., तहसील-....., नगर-.....,
जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
..... के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी
(सील)

प्रालेख-२

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्मानित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक मैं (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (दूनमिन्ट स्थान का नाम आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूनमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रालेख-३

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा पता) ने विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूनमिन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा प्रतियोगिता/ दूनमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंवार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
पद	संस्था का नाम
	मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंवार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रालेख-४

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल प्रेस्स की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूनमिन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूनमिन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/ या अधिकारी/ संग्रहीत या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।